फर्द अहकाम

(नियम 2..)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

राधेश्याम बनाम श्रीमती देऊ (तौरा)

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111/128 नं० 77 सन् 2022

| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 6.3.22 | वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 29.3.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल | |
| 29/3/22 | पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण 2 लगायत 20, 23, 24 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. किये गये अप्रार्थीगण 1 व 21, 22 के सम्मन अदम तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण 9 लगायत 12 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद तिवाड़ी ने अधिकार पत्र व जवाब प्रस्तुत किया जिसे शा.प. किया जाकर जवाब की नकल प्रार्थी अधिवक्ता को दिलायी गयी। अप्रार्थी सं. 2 लगायत 8 एवं 13 लगायत 20, 23, 24, 25 को किवनी तामिल के बाद भी उपस्थित नहीं आया जो लगायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है, अप्रार्थी सं. 1, 21, 22 की तामिल कराने हेतु प्रार्थी अधिवक्ता को रजि. एडी. मार्फत डाक से सम्मन पेश करने हेतु आदेशित किया गया। वास्ते पत्रावली अप्रार्थी सं. 1, 21, 22 की तामिल देखने हेतु नियत दिनांक 12.5.22 को पेश हो। | |
| 12.5.22 | पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, | |

ंक



अप्रार्थी सं. 1 का सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त
हुआ एवं अप्रार्थी सं. 2/22 की तामिल रजि० एडी/पत्र
से करवाई गई। अप्रार्थीगण 1, 2/22 को कितनी
मर्तबा रुक रुक कर आवाजे दिलायी गई, आवाजे
दिलाने के पश्चात भी उपस्थित नही, उनके विरुद्ध
एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया
जाता है। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही,
बहस सुनी गयी। पत्रावली मे पूर्व मे सीमाज्ञान
रिपोर्ट पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी का प्रा०पत्र
स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा
जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

**उपखण्ड अधिकारी**
**मांडल जिला भीलवाड़ा**

राजस्थान –सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस
मुकदमा संख्या – 79/22 प्रा. पत्र
1– श्री राधेश्याम S/o श्री सोहनलाल ब्राह्मण निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमती देऊ W/o श्री देबीलाल गुर्जर निवासी-माण्डल तहसील माण्डल [कंवरा]
(पृष्ठांकित प्रा. पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 12-04-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल मे उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न. 2341, 2346, 2348, 2349, 9747/2926, 9778/2225 कुल किता 06 रकबा 0.1644 हैक्टेयर बीघा बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16-03.22 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण का अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न. 2341, 2346, 2348, 2349, 9747/2926, 9778/2225 कुल किता 06 रकबा 0.1644 हैक्टेयर बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 500-/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत कर।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा